न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 64/2022

प्रार्थी

1. पेमाराम पुत्र हरसुखाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. भीयाराम पुत्र हरसुखाराम
   जाति विश्नोई निवासी भीलों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 26/08/22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 943/3 रकबा 17–01 बीघा विप्रार्थी संख्या 2 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 943/1 रकबा 5–03 बीघा, खसरा नम्बर 943/2 रकबा 11–18 बीघा ग्राम भीलों की ढाणी पटवार क्षेत्र बारासण तहसील गुड़ामालानी में आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 943 रकबा 4–16 बीघा भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के सामलाती छोडी गई है जिस पर नर्मदा नहर चलती है जो राजस्व रेकर्ड में नर्मदा नहर के नाम से दर्ज नहीं की गई है। प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 2 के खसरे मूल खसरा नम्बर 943 से विभक्त होकर बने हैं, विभक्त खसरों का रकबा तो राजस्व रेकर्ड में मौके अनुसार बराबर लिखा गया है परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त कब्जे से भिन्न कर दी है जिससे मौके व राजस्व लट्ठा ट्रेस में भिन्नता आने पर विवाद की स्थिति बन गई है। इसलिये इस गलत तरमीम की दुरूस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद [illegible] अनुपस्थित रहने से विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध [illegible] की गई। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गुड़ामालानी [illegible] रिपोर्ट कमांक 796 दिनांक [illegible] 05.2022 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौका जांच व रेकर्ड की जांच के अवलोकन से मौके एवं रेकर्ड में दर्ज तरमीम में भिन्नता है। तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश कमांक भू.अ./2014/2264 दिनांक 14.07.2014 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

द्वारा खसरा नम्बर 943 रकबा 38–10 बीघा का सहमति से विभाजन किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 650 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया, राजस्व नक्शा में दिशा भ्रम के कारण तरमीम करते वक्त मौके से भिन्न राजस्व नक्शे में तरमीम करदी गई, खसरा नम्बर 943 रकबा 4–16 बीघा इस भूमि में से निकलने वाली नर्मदा नहर की भूमि है जो कि दोनों खातेदारों के नाम वर्तमान रेकर्ड में दर्ज है वर्तमान नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 943/3 में से नहर निकलती है जिसके खसरा नम्बर 943 है नक्शे में खसरा नम्बर 943/1 व 943/2 के बीच में नहर की भूमि दर्शाई गई है वहां पर मौके पर नहर नहीं है। वादी पेमाराम का कब्जा काश्त मूल खसरा नम्बर 944 से लगता हुआ है, प्रतिवादी भीमाराम का कब्जा काश्त मूल खसरा नम्बर 942 व 950 से लगता हुआ है। प्रस्तावित नक्शा अनुसार वर्तमान लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में भिन्नता है। चूंकि तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जहां राजस्व नक्शा ट्रेस में नहर की तरमीम की गई है वहां पर नहर नहीं है, नहर की तरमीम व पक्षकारान के कब्जा काश्त की तरमीम में भिन्नता होने से तरमीम दुरूस्ती का निवेदन किया है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 796 दिनांक 16.05.2022 द्वारा मौजा भीलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 943/3, 943/1, 943/2, 943 रकबा कमशः 17–01, 5–03, 11–18, 4–16 बीघा भूमि का बरंग 'लाल' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक शु[illegible] के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक 796 दिनांक 16.05.2022 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:04:58 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी